

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 95/2023

उनवान

1. दिलदार खान पुत्र श्री कमरु पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. राजू खान पुत्र श्री कमरु पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. विसमिल्ला पत्निश्री कमरु पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. अफसाना बानु पुत्री श्री कमरु पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. मुराद बानु पुत्रीश्री पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामप्रसाद पुत्र श्री रामनाथ लढा नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ।
2. श्रीमती हुसैना पटान पत्नि श्री मोहम्मद खान पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ।
3. श्री पीरू पुत्र श्री रमजू सुबान पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ।
4. श्री बाबू खां पुत्र श्री सुबान पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ।
5. श्रीमती र्हसा पुत्री श्री सुबान पटान नि० स्वरूपगंज तह० हमीरगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 04.07.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 21.06.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम स्वरूपगंज प.ह. स्वरूपगंज भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 120 की आ.न. 569 रकबा 0.0506है०, कुल किता 01 रकबा 0.0506है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 22.06.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम स्वरूपगंज प.ह. स्वरूपगंज भू०अ०नि० क्षेत्र खैराबाद तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 120 की आ.न. 569 रकबा 0.0506है०, कुल किता 01 रकबा 0.0506है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 04.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)

